

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-163/94)/अलेसे-II/ 1309

दिनांक:- 22.09.17

परिपत्र

राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाओं/उपक्रमों में राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है।

इस क्रम में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि प्रतिनियुक्ति पर निर्धारित अवधि समाप्त/पूर्ण होने पर इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि में बिना इस निदेशालय एवं प्रशासनिक नियन्त्रक वित्त (राजस्व) विभाग की स्वीकृति प्राप्त किये सीधे ही प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि प्रस्तावित कर दी जाती है, जो नियमानुकूल नहीं है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की स्वीकृति उधार देने वाला विभाग अर्थात् कार्मिक का प्रशासनिक विभाग, वित्त (राजस्व) विभाग ही जारी करने में सक्षम है।

अतः कृपया भविष्य में किसी भी राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने हेतु उधार लेने वाले उपक्रम/संस्था/विभाग निर्धारित अवधि पूर्व प्रस्ताव इस निदेशालय के माध्यम से प्रशासनिक विभाग, वित्त (राजस्व) विभाग को प्रेषित करें। वित्त (राजस्व) विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रतिनियुक्ति अवधि में बढ़ोतरी की जा सकेगी।

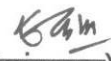

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-163/94)/अलेसे-II/ 1309

दिनांक:- 22.09.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष राजस्थान सरकार
2. प्रबन्ध निदेशक/आयुक्त/अध्यक्ष/राजकीय उपक्रम राज्य सरकार
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(सांवरमल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)